**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्न संख्या - 2949**

***सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक)***

**पंजाब का बकाया ऋण**

**2949. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब सरकार पर कुल कितना बकाया ऋण है;

(ख) क्या वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए दस वर्षों में पंजाब का सरकारी ऋण 5 लाख करोड़ रुपये को पार हो जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऋणग्रस्त राज्यों को मुफ्त में उपहार देकर सार्वजनिक निधि का अपव्यय करने की अनुमति देती है जिससे राज्य के लोग अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) क्या यह उधार लेकर अनावश्यक अनिर्धारित व्यय किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की 'राज्य वित्त: वर्ष 2022-23 के बजट का एक अध्ययन', नाम की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021, मार्च 2022 (सं.अ.) तथा मार्च 2023 (ब.अ.) के अंत में पंजाब राज्य की कुल बकाया देनदारियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

**(करोड़ रुपए में)**

| **वर्ष (यथा मार्च के अंत में)** | **पंजाब राज्य की कुल बकाया देनदारियां** |
|---|---|
| 2021 (वास्तविक) | 2,59,266 |
| 2022 (सं.अ.) | 2,82,456 |
| 2023 (ब.अ.) | 3,05,047 |

(ख) से (घ): पंजाब राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम बना लिया है जो राज्य सरकार को राजस्व घाटे को नियंत्रित करते हुए पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता में अंतरजन्य साम्यता, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकशील ऋण प्रबंधन तथा सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुपालन की निगरानी पंजाब के राज्य विधान मंडल द्वारा की जाती है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय सामान्यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्यों द्वारा उधार लिए जाने को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा अधिदेशित राजकोषीय सीमाओं का पालन करता है।

*****